



**EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY**

आवास सम्बन्धी समान अवसर

हम उचित आवास संबंधी संघीय कानून के अनुरूप कारोबार करते हैं

(उचित आवास सम्बन्धी संशोधन अधिनियम, 1988)

**किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नस्ल, रंग, धर्म, लिंग, विकलांगता,
पारिवारिक स्थिति, या राष्ट्रीय मूल के कारण भेदभाव करना
गैरकानूनी है**

- आवास या आवासीय इकाईयों की बिक्री या उन्हें किराये पर देने में
- आवास की बिक्री या उसे किराये पर देने के विज्ञापन में
- आवास के लिए कर्ज़ देने में
- अचल सम्पत्ति सम्बन्धी ब्रोकरेज सेवायें देने में
- आवास के मूल्यांकन में
- डराने-धमकाने के दाँवपेच (ब्लॉकबस्टिंग) भी गैरकानूनी हैं

कोई भी व्यक्ति जो महसूस करता हो कि उसके विरुद्ध भेदभाव किया गया है, आवास सम्बन्धी भेदभाव की शिकायत दर्ज कर सकता है:

1-800-669-9777 (टोल-फ्री)

1-800-927-9275 (TTY)

www.hud.gov/fairhousing

**U.S. Department of Housing and
Urban Development
Assistant Secretary for Fair Housing and
Equal Opportunity
Washington, D.C. 20410**